



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।

जीवीएम रोड, पुलिस थाने के सामने, सरदारशहर-331403

फोन नं- 01564-220014

ईमेल आईडी -rsrtc.cmsds@yahoo.com

क्रमांक :-वित्त/केन्टिन/2026/

दिनांक:-30.09.2026

निविदा - सूचना

केन्टीन स्टॉल लाइसेन्स पर लेने का सुनहरा अवसर

सर्वसाधारण को सूचित किया है कि रोडवेज केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सरदारशहर पर निम्नलिखित केन्टीन स्टॉल के आवंटन हेतु सील बंद लिफाफे में निविदाएं ईच्छुक निविदादाताओं से खुली निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र० सं०	स्टॉल नं०	स्टॉल किस्म	निविदा शुल्क (GST सहित)	घरोहर राशि	SPPP पोर्टल क्रमांक यूबीएन नं०	निविदा प्रपत्र एवं शर्तें प्राप्त करने की तिथि व समय	निविदा करवाने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा जमा की तिथि	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	2	ज्यूस	236	10,000	RTTC2627 SS0300584	30.09.2026 से 12.10.26 13.00 PM	12.10.2026 14.00 PM	12.10.2026 15.00 PM	
2.	4	चाय	236	10,000	"	30.09.2026 से 12.10.26 13.00 PM	12.10.2026 14.00 PM	12.10.2026 15.00 PM	
3.	6	जनरल स्टोर	236	10,000	"	30.09.2026 से 12.10.26 13.00 PM	12.10.2026 14.00 PM	12.10.2026 15.00 PM	
4.	8	फुट्स	236	10,000	"	30.09.2026 से 12.10.26 13.00 PM	12.10.2026 14.00 PM	12.10.2026 15.00 PM	
5.	10	मोबाईल	236	10,000	"	30.09.2026 से 12.10.26 13.00 PM	12.10.2026 14.00 PM	12.10.2026 15.00 PM	
6.	14	कचौरी/ नमकीन	236	10,000	"	30.09.2026 से 12.10.26 13.00 PM	12.10.2026 14.00 PM	12.10.2026 15.00 PM	

प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा पत्र के साथ निर्धारित घरोहर राशि 10000 रु. (दस हजार रु. मात्र) नगद या डी.डी. मुख्य प्रबंधक सरदारशहर आगार के नाम जमा करानी होगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र/फार्म निर्धारित दिनांक तक इस कार्यालय से ही प्राप्त कर इसी कार्यालय में जमा करवाये जाने हैं।

निविदा देने पर शर्तें निम्न प्रकार हैं -

- निविदादाता को टेण्डर खोलने के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित अधिकतम लाइसेन्स फीस मंजूर होने पर निविदादाता को उसी दिन निगम कोष में तीन माह की लाइसेन्स फीस की राशि के बराबर सुरक्षा/घरोहर राशि जमा करानी होगी।
- आवंटित को रु० 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र आदि भरकर निगम नियमानुसार लीगल कार्यवाही करनी होगी।
- आवंटित मासिक लाइसेन्स शुल्क के बराबर 12 अग्रिम दिनांक के चैक देने होंगे। नाम-पते प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज देने होंगे।
- बकायादार स्टॉलधारी का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:- उक्त निविदा सूचना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in OR <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> पर देखी जा सकती है।

मुख्य प्रबंधक,
सरदारशहर आगार
दिनांक- 30.09.2026

क्रमांक-मुप्रस/वित्त/निविदा/2026/2829

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान उप महा प्रबंधक(आईटीओ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. श्रीमान कार्यकारी प्रबंधक(जनसम्पर्क/विज्ञापन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का श्रम करावे व प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे।
3. प्रबंधक(वित्त/यातायात/प्रशासन/संचालन)/कैशियर(भुगतान), राजस्थान परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।
4. नोटिस बोर्ड(केन्द्रीय बस स्टैण्ड/कार्यशाला/नगरपालिका/रेलवे स्टेशन/मुख्य प्रबंधक, कार्यालय), राजस्थान परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

मुख्य प्रबंधक,
सरदारशहर आगार।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निविदा शुल्क - रुपये मात्र
 निविदा दिनांक
 निविदा प्राप्ति समय.....
 निविदा खोलने का समय

कैंटीन/स्टाल/बूथ के आवंटन/ संचालन की निविदा शर्तें निम्न हैं:-

- 1- निगम परिसर में दुकान/स्टाल/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जावेगी । एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी के विरुद्ध कोई राशि वकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवायें रहने पर लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत चकवृत्ति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा । जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा । उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा-निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी । अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा । लाईसेंसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा ।
- 2- लाईसेंस पर दुकान/स्टाल/बूथ /खाली स्थान लेने हेतु लाईसेंसी को एक सौ रुपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा ।
- 3- लाईसेंस पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामाग्री का ही बेचान किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नहीं किया जावेगा :-

1

2.

3.

4 निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि / रूपये (अधारे रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नगद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी। लाईसेंस आवंटित होने पर लाईसेंसी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी. / बैंकर्स चैक / नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना व्याज के लाईसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेंस रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेंस आवंटन किया जा सकेगा।

5- निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान / स्टाल / खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसी को 24 घन्टे के अन्दर अपने स्वयं के खर्च पर पुरानी जगह से सागान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवं उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेंस दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जावेंगे एवं उसका अनुमोदन जोन के महा प्रबन्धक के स्तर से किया जावेगा जब भी लाईसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाईसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेंसधारी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेंस शुल्क / दरों के लिए पूर्व लाईसेंसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवं नये स्थान का लाईसेंस भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदाये आमंत्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तर दायित्व के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।

6- लाईसेंसी मासिक लाईसेंस फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होंगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेंस फीस जमा नहीं कराने अथवा लाईसेंस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने / वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किए जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर दुकान / स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।

7- लाईसेंसी स्वयं के खर्च पर संबंधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबंधित विभाग को कनेक्शन बन्द करने लिए सूचित करेगा।

8- आवंटित दुकान / खाली स्थान पर लाईसेंसी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस, व सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।

- 9 लाईसेंसी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
- 10 लाईसेंसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकान/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेंसी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
- 11- निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- 12- यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त करली जावेगी।
- 13- दुकान / स्टाल / बूथ का लिया गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
- 14- अनुबन्ध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
- 15- लाईसेंसी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी जो लाईसेंसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेंस दे दिया जावेगा।
- 16- लाईसेंसी द्वारा निगम से समय समय पर जारी आदेश/ शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 17- दुकान/ स्टाल/ बूथ पर गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा।
- 18- लाईसेंसी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेंसी द्वारा ही सीधे संबंधित विभाग में जमा कराया जावेगा।
- 19- यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेंस उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में किसी भी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

- 20 यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदा दाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे :-
1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटों प्रति ।
 2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति । (पुष्टि में मातादाता परिचय पत्र/ वर्तमान ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति) ।
 3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100/- रूपयों के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंस रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
- 21- निविदा प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे ।
- 22- निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट ना हो । प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे ।
- 23- निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे ।
- 24- यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम का होगा ।
- 25- यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम का होगा ।
- 27- संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।
- 28- मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहज



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।

जीवीएम रोड़, पुलिस थाने के सामने, सरदारशहर-331403



फोन न०- 01564-220014

ईमेल आईडी -rsrtc.cmsds@yahoo.com

केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सरदारशहर पर केन्टीन/स्टॉल, रिक्त स्थान आवंटन हेतु अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

बिड़-प्रपत्र

कम्पनी की दशा
में फोटो अनिवार्य
नहीं हैं।

01	फर्म/व्यक्ति का नाम पूर्ण पता :-	
02	चाही गई केन्टीन/स्टॉल रिक्त स्थान संख्या :-	
	लाईसेन्स फीस :-	 प्रतिमाह
03	टेलीफोन/मोबाईल न०:-	
	कार्यालय :-	
	निवास :-	
04	टेलेक्स/फैक्स नम्बर :-	
05	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण :-	
06	धरोहर राशि :-	
07	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नम्बर :-	
	दिनांक :-	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टॉल बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण :-	
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैंक में खाता नम्बर :-	
10	अन्य आवश्यक विवरण :- पहचान पत्र, पेन नम्बर एवं एक फोटो, जी०एस०टी० पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी० पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।	

हस्ताक्षर निविदादाता

मय पद/हैसियत/मोहर सहित।

ANNEXURE-1

DECLARATION BY BIDDERS REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to our Bid submitted to SOS DEPOT for bid of Advertisement at SOS DEPOT in response to their Notice Inviting Bids No. Dated we hereby declare that:

1. Declaration by the Bidder under Section 7 and 14 of the Act

- i. We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bid Document issued by the Procuring Entity.
- ii. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bid Document.
- iii. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
- iv. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
- v. We do not have a conflict of interest as specified in the RTPP Act & Rules and this Bid Document, which materially affects fair competition.
- vi. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the RTPP Act & Rules, and this Bid Document, till completion of all our obligations under the Contract.

2. Declaration by Bidder (For not being blacklisted)

We, the undersigned declare that our firm have not been blacklisted by any of STU's/Govt. of India / State Government/ Public sector undertaking for breach of Contract.

3. Declaration by Bidder (For not being bankruptcy and insolvent)

We, the undersigned declare that our firm have not been Bankruptcy /insolvent by any of Govt. bank / private bank.

If above declarations are found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our Bid Security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signed: _____ Name: _____

In the capacity of: _____

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of: _____

Date: _____ Tel: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Date:

Signature of Bidder.

Place:

Name:

Designation:

Address: